बिहार सरकार
ग्रामीण कार्य विभाग

कार्यालय आदेश

का0आ0स0 :–2/अ0प्र0–2–58/2019 48 /पटना, दिनांक :– 29.10.21

श्री प्रफुल्ल चन्द्र झा, तत्कालीन वरीय लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, पूर्णियाँ के विरूद्ध क्षेत्रीय प्रयोगशाला, पूर्णियाँ अन्तर्गत पदस्थापन काल में बिना किसी सूचना के दिनांक 27.01.2018 से 31.05.2018 तक अनाधिकृत रूप से अनुपस्थित रहने तथा इस संबंध में पूछे गये स्पष्टीकरण का जबाव समर्पित नहीं करने संबंधी आरोपों के लिये आरोप पत्र गठित कर कार्यालय आदेश संख्या–64 सह–पठित ज्ञापांक–2321 अनु0 दिनांक 16.08.2019 द्वारा बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2005 के नियम 17 के तहत मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग के अधीन विभागीय कार्यवाही संचालित की गयी।

2. संचालन पदाधिकारी (मुख्य अभियंता–1, ग्रामीण कार्य विभाग) के पत्रांक 5250 अनु0 दिनांक 18.12.2020 के माध्यम से विभागीय कार्यवाही का जांच प्रतिवेदन विभाग को प्राप्त हुआ, जिसमें श्री झा के विरूद्ध गठित आरोपों को अप्रमाणित होने का मंतव्य संचालन पदाधिकारी द्वारा दिया गया। संचालन पदाधिकारी द्वारा श्री झा के विरूद्ध गठित अनाधिकृत अनुपस्थिति से संबंधित आरोपों के संबंध में आरोपित कर्मी के बीमार रहने एवं चिकित्सक की चिकित्सा में रहने संबंधी समर्पित साक्ष्यों के आधार पर आरोप को अप्रमाणित माना गया, जबकि आरोप संख्या–2 के संदर्भ में स्पष्टीकरण हेतु निर्गत ज्ञापांक 12141 दिनांक 10.12.2018 आरोपित कर्मी को प्राप्त नहीं होने के आधार पर आरोप को अप्रमाणित माना गया।

3. संचालन पदाधिकारी से प्राप्त उक्त जांच प्रतिवेदन एवं साक्ष्यों के आलोक में मामले की समीक्षा की गयी एवं समीक्षोपरान्त संचालन पदाधिकारी के मंतव्य से सहमत होते हुए श्री झा को आरोप मुक्त करने का निर्णय लिया गया।

4. अतः उक्त आलोक में श्री प्रफुल्ल चन्द्र झा, तत्कालीन वरीय लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, पूर्णियाँ सम्प्रति वरीय लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटोरी को प्रश्नगत् मामले में आरोप मुक्त किया जाता है।

29/10/21

(अशोक कुमार मिश्रा)
अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–2/अ0प्र0–2–58/2019 1656 /पटना, दिनांक :– 29.10.21

प्रतिलिपिः– सचिव के प्रधान आप्त सचिव, ग्रामीण कार्य विभाग/सभी मुख्य अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग/अधीक्षण अभियंता, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य अंचल, पूर्णियाँ/समस्तीपुर/कार्यपालक अभियंता, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, पूर्णियाँ/कार्यपालक अभियंता कार्य प्रमंडल, पटोरी/प्रशाखा पदाधिकारी–8, ग्रामीण कार्य विभाग एवं श्री प्रफुल्ल चन्द्र झा, तत्कालीन वरीय लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, क्षेत्रीय प्रयोगशाला, पूर्णियाँ सम्प्रति वरीय लेखा लिपिक, ग्रामीण कार्य विभाग, कार्य प्रमंडल, पटोरी को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

29/10/21

अभियंता प्रमुख

ज्ञापांक :–2 / अ0प्र0–2–58 / 2019 1656 / पटना, दिनांक :– 29.10.21

प्रतिलिपिः– आई०टी० मैनेजर, ग्रामीण कार्य विभाग, बिहार, पटना को विभागीय बेवसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

अभियंता प्रमुख